[श्री आबिद अली]

करप्शन दूर नहीं हो सकता । जब भी किसी को यह मालूम हो कि करप्शन हुआ है तो उसे हमको इत्तला देनी चाहिए । आप चाहे किसी जबान में लिख कर भेज दें, एक पोस्टकार्ड भेज दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे । हमको यह चीज़ पसन्द नहीं है । मगर सिर्फ यह कहने से कि करप्शन है करप्शन जायेगा नहीं ।

इसी तरह से मैं अर्ज करना चाहता था कि सिर्फ ऐतराज करने से काम नहीं चलेगा । ऐसा करने से जिनकी आप खिदमत करना चाहते हैं वह आप नहीं कर सकेंगे । जो खिदमत करने का तरीका है उसी से खिदमत हो सकती है । अगर हम और मेम्बर साहिबान मिल कर कोशिश करें तो हम ज्यादा अच्छी खिदमत अंजाम दे सकते हैं ।

RELEASE OF A MEMBER

Mr. Deputy-Speaker: I have to inform the House that I have received the following letter dated 21st August 1957, from the Deputy Superintendent of Police, Jaipur City:—

"Shri Harish Chandra Sharma, Member, Lok Sabha, who was arrested on the 16th August 1957, under section 309 I.P.C. for having resorted to hunger strike unto death, as a protest against the increase in tuition fees in Rajasthan and lodged in Central Jail, Jaipur, from the 16th to the 20th August 1957, has been released on the 20th August 1957, at 5 A.M. under the orders of the Government for dropping the proceedings against him".

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Why was there so much delay in informing the House? He was arrested on the 16th. The Magistrate should have sent a telegram.

Mr. Deputy-Speaker: He has been released on the 20th.

Shri Naushir Bharucha: He was arrested on the 16th.

Mr. Deputy-Speaker: It is not obligatory to send the information at all. Therefore, if he has sent it, that is over-caution. In fact, it was not required to be sent.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): There is a mention made in the rules. The relase must be intimated to the House.

Mr. Deputy-Speaker: No. The hon. Member should not be so confident.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF LAROUR AND EMPLOYMENT—*contd.*

Shri Kuttikrishnan Nair (Kozhikode): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands under discussion.

As far as the policy of the Government is concerned, nobody can question the correctness of their approach. The Government have accepted the principle of the right of workers to participate in the management of the Industry. The further step which Government has to take is to see that they have ownership also, and that will be the only remedy to have complete industrial peace. But today our labour, as you know, is not very well organised. About 60 per cent. of labour in the rural areas is all unorganised. Good labour laws have been passed, but workers except those working the big factories or in industrial centres have not been able to get the full fruits of the laws that have been passed.

Another aspect which I wish to place before Government is that too much emphasis is given to the wage and bonus question. Equal importance has to be given to the amenities that have to be allowed to the workers. Like the Harijan welfare department, unless a separate department is start-

ed with Government aid to give amenities to the workers for a fixed period of, say, ten or fifteen years, it won't be possible to raise the economic standard of the workers. You know that some ten years ago both Harijan welfare and labour welfare were combined in one department in the State Governments. That was a correct policy. We have to view the difficulties of labourers on a par with the social and economic difficulties of the Harijans and other classes of people amongst us.

You know that plantation and other labour are still labouring under very many difficulties. Problems of housing and water supply are still existing in the plantation areas. The hon. Deputy Minister has seen some of the plantations in Kerala. I am sure he has been convinced about the difficulties in living conditions; water supply and other amenities are practically denied to the workers there.

There is an industrial housing scheme. But many of the managements do not take advantage of the scheme. On examination, you will find that most of this money is spent in the big cities while in the rural areas no industrial management comes forward to utilise any amenities under this scheme. There must be a machinery to compel them to utilise this source for giving fuller amenities to the labourers.

For the solution of disputes between managements and workers, there is ample machinery provided under the rules. But some more modifications seem to be necessary in the case of retrenchment and dismissal. You know that if a worker is dismissed and the matter is referred to the industrial tribunal, it takes about one year or more to get a decision. Reinstatement with back wages, even if allowed, will not be beneficial to the worker, because he will have nothing to fall back upon during the interim period. There must be a machinery in the case of retrenchment and suspension to give them living wages as in the case of workers who are retrenched there is provision for the payment of half wages. The question as to retrenchment or dismissal has to be speedily decided and till then they must be given wages at least to live on.

I have also to submit that the idea of bonus shares has also to be worked out so that the workers may be enabled to own shares in all these concerns. Out of the bonus amounts paid to them and out of the contribution paid by the management, it must be possible for them to own at least within a period of 15 or 20 years about one-third of the shares of these concerns.

Coming to the affairs in Kerala I have to state that in Kerala there is no big industry. There are always trade disputes there because the industrial concerns there are of a minor nature. Take, tiles, for instance. In Kerala for about 7 months in the year there is rain. Because some of the industrialists have not put up modern equipment for drying the tiles, the workers are out of job for 2 or 3 months, even though it does not come under seasonal industry. Government must find out a method by which these industrialists are allowed to utilise the financial aids for having modern equipment in order to prevent this interim discharge of workers.

It is my duty now to appeal to this Government to interfere in the affairs of Kerala labour disputes. The Kerala Government has neutralised the police; they have also neutralised the industrial machinery by which the claims of the workers are to be adjudicated upon. It is a fact that in Kerala the majority of labour is under I.N.T.U.C. and I have the honour to belong to that. Whenever a question arises where the I.N.T.U.C. has got the leadership or where the I.N.T.U.C. workers are more in number, they neutralise both the police and the labour machinery so much so a stalemate is created and the workers are demoralised and are compelled to withdraw their direct action

[Shri Kuttikrishnan Nair]

and are made victims of punishment by the management It might be due to the fact that the Kerala Government want to curry the favour of the industrialists They have changed their policy with reference to the industrialists in Kerala

People with good impulses—I refer here to Shri A K Gopalan—belonging to the communist party stated that some of these plantations have to be acquired by Government But somehow the party was afraid of alienating the sympathies of the richer classes in Kerala So that policy was criticised and some of the leaders even went to the extent of saying that that was a wrong announcement and that the people outside the Cabinet had no business to make such announcements Whatever that is, wherever the I N T U C has a lead in the unions, the police is neutralised and the government machinery is neutralised and the workers do not get what they want They are demoralised and that is creating a lot of heart-burning amongst the labourers I would request the hon Minister of Labour to visit that area and ask the State Government to abstain from such policy hereafter It is true they are trying to strengthen their party We have no quarrels with that But that should not in any way prejudice the rights of the workers It is true that in some places our workers are assaulted We do not mind it, we can resist that as we are larger in number and we are not afraid of it But to sacrifice the claims of a worker merely because he belongs to another political party is wrong, and I have to appeal to this Government to interfere in that matter

I would also appeal to the opposition leader and the Members of the communist party here not to be misguided by the affiliation of the workers They have to understand that the worker is more concerned with his economic uplift rather than the political ideologies, except persons like myself and others The case of the worker has to be considered in that manner and his claims looked after

I need not stress much on any other point because many of the speakers have spoken about other aspects of the question I thank you for having given me this opportunity

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर–रक्षित—अनुसूचित जातिया) उपाध्यक्ष महोदय मैं सब से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है ।

मैं माननीय मत्री ज का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उस श्रम नीति के लिये जो उन्होंने अपनाई है । बावजूद इसके कि देश के अन्दर कुछ तोड फाड की क्रियाएं हुई हैं कुछ ताले बन्दिया हुई हैं कुछ हडताल हुई हैं और उनमे जिन जिन सिर फिरे तथा रजअत पसन्द लोगो का भी हाथ रहा हो लेकिन उन तमाम बाता के होते हुए भी हमारी जो श्रम नीति चली है वह सफलता पूर्वक चली है । यह श्रम मत्री जी की कार्य परायणता, उनकी जागरूकता तथा उनकी सजगता का प्रतीक है ।

मै इस बात का मानता हू कि "श्रमेण हितपम"। श्रम ही तपस्या है । प्रथम पचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये हमने श्रम की भावना पैदा की और आज भी हम उसी श्रम की भावना का लेकर चल रहे है और मजदूरो के जीवन स्तर को ऊचा उठाने का प्रयत्न कर रहे है । यद्यपि उनके जीवनस्तर म कोई विशेष उन्नति नही हुई है लेकिन फिर भी हम आशावान हैं कि यह होगी और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढना है ।

यह ठीक है कि देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिये, उनके वेतनो मे सशोधन

करने के लिये दस साल पहले एक पे कमिशन बिठाया गया था। उस समय जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें बहुत भारी अन्तर आ गया है। अब आपने दूसरे पे कमिशन की नियुक्ति की है। इससे हमारे हृदयों के अन्दर हर्ष का संचार हुआ है। मुझे कोई बहुत अधिक नहीं कहना है। लेकिन मेरी जो सहानुभूति है वह क्लास फोर सर्वेंटस की ओर कुदरती ढंग से जाती है और मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं और उनकी पे का जो स्तर है वह जिस ढंग का कार्य वे करते हैं उनके अनुसार नहीं होता है और उतनी पे उनको नहीं मिलती है जितनी उन को मिलनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो साधारण काम करने वाले व्यक्ति हैं चाहे वे चपरासी हैं, चाहे वे भंगी हैं या इस तरह के दूसरे लोग हैं कम से कम सौ रुपया मासिक अवश्य मिलना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि यह होकर रहेगा। यह बात जरूर है कि सरकार ने जो अभी पे कमीशन नियुक्त किया है उस की सिफारिशें हमारे सामने आयेंगी और उन पर विचार होकर अमल होगा। मैं चाहता हूं कि पे क[illegible] इस सदृ की एडमिनिस्टर्ड एरिया के अन्दर जो कारपोरेशन होगी और जो म्युनिसिपैलिटियां होंगी, उनमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं उन के वेतन पर इस पे कमिशन द्वारा विशेष रूप में ध्यान दिया जायगा। पे कमिशन की सिफारिशें उन पर भी लागू होंगी।

यहां पर वेज बोर्ड का जिक्र किया गया। मैं टैक्सटाइल इंडस्ट्री में वेज बोर्ड का यहां पर स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि उसी तरह के वेज बोर्ड्स चाहे वह शुगर उद्योग हो और चाहे वह रलवे उद्योग हो या उसी तरीके के दूसरे उद्योग हों, म्यूनिसपैल्टीज आदि, उन में वेज बोर्ड कायम किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान खास तौर से म्यूनिसिपल वर्कर्स की तरफ जाता है और मैं समझता हूं कि उन की वेजेज में काफी डिस्पैरिटी है, चाहे वह कारपोरेशन्स हो या म्यूनिसपैल्टीज हो और मैं चाहता हूं कि इस तरह का म्यूनिसिपल वर्कर्स के लिये भी एक वेज बोर्ड होना चाहिये जो उन के वेतनों की डिस्पैरिटी को देखे और उन की दयनीय आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तबदीली सुझाये और उनके सैलरी स्ट्रक्चर की जांच कर सके।

श्रम मंत्री महोदय ने श्रम सम्मेलन में यह शब्द बड़े बल के साथ कहे हैं:

"हमने सुख समृद्धि का बीज बोया है। हमने राष्ट्र में एक नई शक्ति पैदा की है।" निस्सन्देह देश समृद्धि की ओर बढ़ा है और राष्ट्र में नई शक्ति की चेतना आई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे श्रम मंत्रालय की नीति ऐसी है जिससे हम अपने देश को निस्सन्देह एक समाजवादी व्यवस्था की ओर लिये जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय की नीति में जन कल्याण की भावना निहित है और हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हड़तालों का एक ताना सा और वातावरण सा बन गया है और जिधर देखो उधर हड़ताल की चर्चा सुनाई देती है, कहीं म्युनिसपल मजदूरों की हड़ताल, कहीं गोदी कर्मचारियों की हड़ताल तो कहीं पी० एंड टी० के कर्मचारियों की हड़ताल, मैं इस बात को मानता हूं कि आज जब हमारा देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जुटा हुआ है तब इस तरह की हड़तालों में उसकी प्रगति में बाधा पहुंचती है, उत्पादन कार्य रुक जाता है और उसके साथ ही हड़ताल होने से दोनों पक्षों को दिक्कत और परेशानी ह होती है और आज आज की बदली हुई परिस्थिति में यदि हड़ताल न हो तो वह देश के हित में होगा लेकिन मैं

[श्री बाल्मीकी]

चाहूगा कि हमारे श्रम मत्री महोदय और भारत सरकार इस बात के ऊपर गम्भीरता से विचार करे कि आखिर यह हडताले क्यो होती है और इन के पीछे क्या कारण हैं । मै समझता हू कि हडतालो क बहुत हद तक वजह अधिकारी तथा मालिको द्वारा कर्मचारियो के प्रति उपेक्षा बर्ती जाना है । जहा तक म्युनिसपल मजदूरो का ताल्लुक है मैने देखा है कि, पिछले ३, ४ वर्षों मे श्रम मत्रालय को उनकी ओर जितना ध्यान देना चाहिये था, वह नही दिया । आज चाहे वह वर्कमैन कम्पेसेशन ऐक्ट हो, चाहे वह लेबर इडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो और चाहे वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट हो या इस प्रकार के दूसरे लेबर ऐक्ट हो जहा तक म्युनि सपल कर्मचारियो का सम्बन्ध है उन पर अमलदरामद नही होता और श्रम मत्रालय का इस ओर ध्यान देना चाहिये कि उनके सम्बन्ध म भी इन कानूनो का अमल कराया जाय ।

अब मै थोडे से शब्द अपने लैडलेस लेबरर्स की बावत कहना चाहूगा । आज हमार देश मे लैडलेस लेबरर्स की अवस्था बडी शोचनीय है और यह सौभाग्य का विषय है कि सत विनोबा भाव जी का ध्यान इन अभागे खेतिहर मजदूरो की दर्दनाक हालत की ओर गया है और वे उनको गिरी हुई अवस्था से उठाने के लिये प्रयत्नशील है और उनको धरती देने के लिए वे रक्तहीन क्रान्ति सारे देश भर मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसके वास्ते कर रहे है । सन् १६४८ मे सरकार का ध्यान भी उन की ओर गया है और उन्होने उनकी कडिशस के बारे मे जाच पडताल की है लेकिन अमली तौर पर सरकार द्वारा उनको उठाने के लिये कोई सक्रिय कदम अभी तक नही लिया गया है । प्लानिग कमिशन ने एग्रीकलचरल लैडलेस लेबरर्स के बारे मे जो सिफारिशे की हैं वह मै आपके सामने रखना चाहता हू

"The Minimum Wages Act, 1948 should be enforced in the first instance in those areas where the level of rural wages is found to be relatively low Minimum wages should also be prescribed for workers engaged on farms above a certain size

In the settlement of all newly reclaimed lands after allowing such areas as may be required for State farms preference should be given to co-operatives consisting of landless workers

A progressive social welfare policy to improve the living conditions and social status of the agricultural labour should be followed, in matters such as allotment of residential sites in villages, supply of drinking water, etc Beneficial legislation such as that relating to debt conciliation which at present applies only to persons holding land should also be made applicable under suitable conditions to agricultural wodkers Restrictions which still fetter the agricultural labour in many parts of the country should be removed, wherever necessary, by legislation Vocational education and training should also be encouraged among the agricultural labourers"

मै श्रम मत्रालय का ध्यान ऊपर की गई सिफारिशो की ओर पुन दिलाना चाहता हू और अनुरोध करना चाहता हू कि उनको कार्यान्वित करने मे अधिक देरी न की जाय । लैडलेस लेबरर्स की कडिशस की दुबारा जाच करने की जो बात आई है, मै उसका स्वागत करता हू लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जाच का काम अब जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये । काफी जाच पडताल की जा चुकी है और अब सरकार द्वारा बिना देरी किये इन ३ करोड ४० लाख व्यक्तियो की दयनीय आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये । सरकार म्युनिसिपल

कर्मचारियों तथा खेतीहर मजदूरों की हालत सुधारने की ओर विशेष ध्यान दे ।

अब मैं सदन का ध्यान घरेलू मजदूरों की ओर खींचना चाहता हूं । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि अन्य बड़े शहरों में काफी संख्या मे घरों मे हमारे कर्मचारी काम करते है और मैं यह जानता हूं कि उस ओर भी हमारे भाइयों का ध्यान गया है जो उनमें फैले हुए असन्तोष का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते है और उन्होंने उन घरेलू कर्मचारियों के अलग संगठन बनाये हुए हैं लेकिन आप इससे इंकार नही कर सकते कि उन घरेलू कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं और दिक्कतें है और वे काफी समय से चली आ रही है और यही उनमें असन्तोष होने का कारण है और उनकी अवस्था सुधारने की ओर भी हमारे श्रम मत्रालय को ध्यान देना चाहिये । मै आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी नई दिल्ली में काफी घरेलू मजदूर मेहतरों की शक्ल में, बर्तन मांजने वालों की शक्ल में और अन्य रूपों में बड़े बड़े आदमियों और सरकारी अफसरों के घरों में काम कर रहे है और हमने देखा है कि सिविल या मिलिटरी अफसर बहरानी की घड़ी आदि की चोरी लगाकर किस तरह उस गरीब घरेलू कर्मचारी को फंसाने की कोशिश करते हैं । दूसरे देशों मे हम देखते है कि घरेलू कर्मचारियों के वेतन और काम आदि के बारे मे कानूनी व्यवस्था है और उसके अनुसार वे काम करते हैं लेकिन हमारे देश मे वैसी कोई कानूनी व्यवस्था नही है । आज आवश्यकता इस बात की है कि इन घरेलू मजदूरों की हालत को ठीक करने के लिये उचित कानूनी व्यवस्था की जाये ।

जहां तक रिक्शा चालकों या हाथ से रिक्शा खींचने वालों का ताल्लुक है उनके सम्बन्ध मे पारसाल माननीय टंडन जी मैं अपने हृदय मे एक बड़ा दर्द, और मानवता का प्रेम रख कर उन अभागे लोगों का यहां पर बड़ा हृदयविदारक वर्णन किया था और मै टंडन जी के उन शब्दों की ओर अपने श्रम मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा । मै चाहता हूं कि उनको अपना इलाज कराने की सरकारी सुविधा मिले । आपने अपनी रिपोर्ट के पेज २८ पर रिक्शावालों का जिक्र किया है कि इस तरीके मे उनको लाइसेंस दिये जायेंगे और इस तरह से उनको डाक्टरी परीक्षा की सुविधा दी जायेगी और उस सम्बन्ध में आपका कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स से बातचीत भी चल रही है । मै चाहता हूं कि सरकार रिक्शा चालकों या हाथ से रिक्शा खींचने वालों की ओर जिनकी स्थिति बहुत खराब है, ध्यान दे और उनके रहने के लिये मकान बनवाए । इसके अलावा हमें इस पर भी गम्भीरता से विचार करना होगा कि अब देश मे समाजवाद, समानता और मानवता का सच्चा प्रेम, इन बातों को लेकर चल रहे हैं तब एक आदमी मौज से रिक्शा पर बैठे और दूसरा आदमी उसको हाथ से खीचे, यह कहां तक उचित होगा ?

अस्पतालों में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी हालत बहुत शोचनीय है और मुझे चूंकि मेरी तबियत कुछ दिनों से खराब है, दवाई लेने अस्पताल जाना पड़ा है, तो मुझे वहां पर उन भाइयों ने बताया है कि हमारे अस्पतालों में काम करने का कोई टाइम नही है। बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है । वह दिल्ली का ही सवाल नही है । दूसरी जगह भी वह सवाल है ।

मजदूरों के बहुत से संगठन बन रहे हैं । आप उनकी दिक्कतो की ओर ध्यान दें ताकि उन लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके । इनके संगठन के बहुत से रूप हैं मै उनमें नहीं जाना चाहता । यहा पर ही नहीं, और जगह भी आ० एन० टी० यू० सी० जैसी संस्थायें हैं जो कि यकीनी तौर से शान्ति और अमन मे विश्वास रखती है । इस तरह की यूनियन्स को भी रिकागनाइज नहीं किया जाता । यह बड़े अफसोस की बात है । मैं माननीय मंत्री

[श्री हालमर्क]

जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ कोशिश करे।

मै मन्त्री जी को अन्त मे धन्यवाद देना चाहता हू क्योकि जो नीति वह चला रहे हैं वह सफल हो रही है। लेकिन मै चाहूगा कि मजदूरो की जो खास दिक्कते है उनकी ओर वे विशेष रूप से ध्यान दे।

श्री स० म० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम उन मजदूरो की चर्चा यहा पर कर रहे है जो कि इस देश की बुनियाद के रूप मे है।

मै अभी अपने डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब की तकरीर को बडे गौर से सुन रहा था और मुझे मालूम होता था कि वह कोई इलेक्शन की तकरीर हो रही है। उसे सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आज हम यह आशा लेकर आये है कि हम कुछ ऐसी चीजे देखेगे कि जिनमे मजदूरो और मालिको का रिश्ता और मजदूरो और सरकार का रिश्ता अच्छे आधार पर कायम हो सकेगा। मजदूर और मालिक या मजदूर और सरकार एक ट्रेन के दो चक्को की तरह है। अगर ये दोनो चक्के ठीक तरह से काम करेगे तो हम इस ट्रेन मे बैठी हुई ३६ करोड जनता को मजिले मकसूद तक पहुचा सकेगे।

मै अपने लेबर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हू कि इसी दिल्ली शहर मे जो १५वी लेबर कानफरेस हुई उसम कुछ बुनियादी चीजो के उपर गौर किया गया।

जब मजदूरो की तनख्वाह का सवाल आता है तो कहा जाता है कि इस वक्त देश की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नही है, हमारे सामने अरबो रुपये के खर्चे का सवाल है, पचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है। इस वजह से मजदूर कुर्बानी तो दे मगर वह तनख्वाह न मागे तो अच्छा है। लेकिन एक बात मै मानता हू कि जो कुछ भी फैसले हुए हैं, ख्वाह वह वेज बोर्ड के बारे मे हो, या रेशनलाइजेशन के बारे में हों या किसी और बारे मे हो, उन फैसलो मे इस बात की एक झलक नजर आती है कि लेबर मिनिस्टर की पालिसी कुछ समझौते की तरफ है। मै उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

यह बात सही है कि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है। पचवर्षीय योजना मे जरूरत इस बात की होगी कि जो लोग अकलियत मे हैं या जो अक्सरियत मे है वे दोनो मेहनत करे ताकि एक नये हिन्दुस्तान की इमारत बन सके। मजदूरो के नुमायन्दे आज भी यह महसूस करते है कि यह जो नई इमारत हम बनाना चाहते है इसकी चमकती हुई ईंट तो हमारे चन्द मिनिस्टर होगे और इसकी बुनियाद की ईंट जो कभी नजर नही आयेगी वह मजदूर होगे। इस इमारत को बनाने के लिये मजदूर से मेहनत करने के लिये तो कहा जाता है, उत्पादन बढाने के लिये तो कहा जाता है, लेकिन जब उसकी तनख्वाह का सवाल आता है तो कहते है कि यह बात ठीक नही है, इस वक्त तो कुर्बानी का जमाना है, पचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना है। कामयाब हम बनायेंगे इस के बारे मे मतभेद नही है। हर एक आदमी चाहता है कि पचवर्षीय योजना कामयाब बने। लेकिन उसके साथ ही जो उसको कामयाब बनायेगे, दिन-रात जो मेहनत करेगे, उसके मासूम बच्चो की मुस्कराहट कायम रहे इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, उसकी बीवी के तन पर भी कपडे रहे इसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। मुमकिन है कि आज कुछ मजदूरो की हालत अच्छी हो लेकिन उन मजदूरो की हालत, जो कि लैदर मे या दूसरे ऐसे उद्योगो मे काम करते है जहा पर कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नही है, इतनी बुरी है कि अगर भगवान भी उनके घर मे आना चाहे तो रोटी और कपडा बन कर आये नही तो वह भगवान से कहेगे कि मदिर मे जाओ, मस्जिद मे जाओ, गुरुद्वारे मे जाओ या गिरजे में जाओ।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां जाकर भी तो वह भगवान से मिलेगा ।

श्री स० म० बनर्जी : ठीक है । लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कानपुर शहर में आप टेनरीज के अन्दर देखें । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन मजदूरो को आज ६ आने रोज मजदूरी मिलती है । उनकी कर्जदारी इतनी बढ़ गयी है कि उनका पहली तारीख को कारखाने से निकलना मुश्किल होता है । वे दूसरो के नाम में अपनी तनख्वाह लिखवा देते है । अगर उनकी यही हालत रही और उनको ६ आने रोज मजदूरी मिलती रही तो आप उनमे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि उनका परिवार सुखी होगा, और कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वे देश को बनाने में मदद कर सकेंगे । आज मजदूर देश का मदद करना चाहता है । वह इसके लिये तैयार है । लेकिन उसकी रोटी का सहारा, उसकी रोजी का सहारा उसके कपड़े का सहारा, उसके बच्चो की तालीम का सहारा आपको देना पड़ेगा । मैं आपसे कहना चाहता हू कि हम नही चाहते कि हड़ताल हो । हमे उससे कुछ फायदा नही है । अगर आप यह समझते हो कि हम बिला वजह हड़ताल कराने के पक्ष मे है या खानदानी हड़ताली है, यह बात नही है । लेकिन जब हमारे सामने रोजी का सवाल आता हे तो मजबूर होकर हम हड़ताल के नारे लगाते हैं । आपने आज अखबारो म देखा होगा कि इंटेरिम रिलीफ के बारे मे क्या कहा गया है । उसके बारे मे यह कहा गया है :

> "The Commission may consider demands for relief of an interim character and send reports thereon."

Shri B. S. Murthi: "May" has the force of "shall" there

Shri S. M. Banerjee: Thank you very much. I know English grammar to some extent, though I am speaking in Hindi. लेकिन इससे कनफ्यूजन बहुत हुआ है ।

Shri B. S. Murthi: I am not speaking of grammar.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Both can claim sufficient efficiency in English, I suppose.

श्री स० म० बनर्जी : इस इंटेरिम रिलीफ के लिये इतना झगड़ा हो चुका है । मै सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि लेबर मिनिस्टर भी इसके लिये कोशिश करें कि यह रिलीफ मिले । मै कहता हूं कि मजदूरों की थोड़ी सी तनख्वाह बढे, सरकारी कर्मचारियो की तनख्वाह बढे, और जो प्राइवेट सेक्टर मे या पब्लिक सेक्टर मे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बढे । अगर हम पंचवर्षीय योजना को सफल देखना चाहते है तो कम से कम मजदूरों को अपना काम करने के लिए पाच साल तक जीने का कुछ सहारा तो मिले । अगर इंटेरिम रिलीफ दे दिया जायेगा तो लोग दिल लगाकर काम करेंगे ।

इसके बाद कमिलियेशन मैशिनरी का सवाल आता है । मै माननीय मंत्री जी का ध्यान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं । अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई मामला मिनिस्टर साहब के पास या रीजनल लेबर कमिशनर या कमिलियेशन आफिसर के पास जाता है तो वह यह देखते हैं कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है । कानपुर में रीजनल कमिशनर थे और मै ने देखा कि वह समझते थे कि अन्याय हुआ है लेकिन वह डरते थे कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है और वहा हर तरह से विक्टिमाइजेशन हो सकता है । सीक्रेसी और सीक्योरिटी के नाम पर वहा का हर काम ठीक ही समझ लिया जाता है । सीक्योरिटी के ख्याल से वे किसी को भी निकाल देते हैं । मुराद नगर फैक्टरी से इसी तरह आठ नौ आदमियों को निकाल दिया गया । हम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि क्या किया जाये यह

[श्री स० म० बनर्जी]

तो डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, उस विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यूनियन्स का हाल है। कोई भी मामला कंसिलियेशन आफिसर के पास या रीजनल लेबर कमिशनर के पास जाता है और अगर वह डिफेंस विभाग से सम्बन्ध रखता है तो उनके सामने भी एक मजबूरी हो जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की लेबर पालिसी एक है और लेबर मिनिस्ट्री की दूसरी है। जब तक जो लेबर मिनिस्ट्री की पालिसी है उसको सब जगह यूनिफार्मली एप्लाई नहीं किया जायेगा तब तक यह विक्टिमाइज़ेशन होता रहे। ट्रेड यूनियन राइटस के लिये लोग लड़े हैं और अपने राइटस की खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनको निकाल बाहर किया जाता है। यदि इस तरह से निकाले जाने के बाद उनका ध्यान लेबर मिनिस्टरी की तरफ जाता है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, यह स्वाभाविक सी बात है। चूंकि आपका नाम ही लेबर मिनिस्टर है इस वास्ते वे महसूस करते हैं कि आप यहां पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये ही बैठे हुए हैं और आपकी मिनिस्ट्री का निर्माण मजदूरों की रक्षा करने के लिये, उनके हितों की रक्षा करने के लिये ही किया गया है। उन लोगों को जब निकाल बाहर किया जाता है और उसके बाद अगर लेबर मिनिस्ट्री अपनी मजबूरी का इजहार कर देती है तो इससे बढ़ कर दुःख की और क्या बात हो सकती है। इस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं चल सकती है। आखिर आप उसको किस तरह से चलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब केसिस की जांच की जाए। आपने लेबर आफिसर्स मुकर्रर किए हैं लेकिन उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वह किस का है? वह डिफेंस मिनिस्ट्री का है। लेबर आफिसर्स मदद भी करना चाहते हैं लेकिन उनको कह दिया जाता है कि तुम लेबर आफिसर हो और तुम लेबर के मामलों को ही हल करो। तुम, हम जो चिट्ठी देते हैं उसे यूनियन के पास दे दो और यूनियन जो चिट्ठी देती है उसे हमारे पास पहुंचा दो। एक पोस्टमैन का ही काम उनका आज रह गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो डिप्लोमा इन सोशल वर्क का लिया और जो ट्रेनिंग हासिल की वह सारी की सारी बेकार हो गई और यहीं तक उनका काम सीमित हो गया है। लेबर मिनिस्ट्री के अन्दर रह कर और इसके एड-मिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अगर रह कर वे लोग काम करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं।

अब मैं बेकारी के बारे में दो एक बातें कहना चाहता हूं। आपके मंत्रालय ने एक किताब छापी जिस में कहा गया है कि तकरीबन साढ़े सात लाख लोग ऐसे हैं जोकि बेकार हैं और जिन का नाम रजिस्टर किया गया है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड बेकार हैं उनकी संख्या नहीं दी गयी है क्योंकि वह गिनी नहीं जा सकती है। जो कुछ भी हो लेकिन जब बेकारी की बात की जाती है तो मैं मंत्री जी का ध्यान छटनी की ओर, रिट्रेंचमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं। १२ फरवरी १९५६ के दिन बड़े बड़े अखबारों में मोटी मोटी सुर्खियां छपी थीं और यह कहा गया था कि ८० लाख नौकरियां दूसरे पांच साला प्लान के अन्तर्गत लोगों को मिलेंगी। मजदूरों में इससे एक खुशी की लहर दौड़ गई। वे लोग दौड़े दौड़े हमारे पास आए और कहने लगे कि हमें जो सरप्लस करार दे दिया गया है, अब नौकरी मिल जाएगी और अब हमने कहा कि होना तो ऐसा चाहिये तो उनके दिलों के अन्दर एक नई उमंग पैदा हुई और नये जज़बात उनके दिलों में करवटें लेने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। १५ सितम्बर १९५६ के दिन ६००० सुरक्षा कर्मचारियों को निकाल फैक्ट्रियों से बाहर कर दिया गया। उन लोगों

की लाशें निकल रही थी और हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है वह खामोशी से देख रही थी। मुझ से मजदूरों ने कहा कि आखिर यह क्या हो रहा है ? यहां पर तो ८० लाख नए लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है लेकिन हमको निकाल बाहर कर दिया गया है। क्या कारण है कि आप इन बसते हुए घरों को इस तरह से उजाड़ रहे हैं। दूसरे लोग तो एक्सचेंजिस का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है और इन लोगों को जोकि रोजगार पर लगे हुए हैं क्यों निकाला जाता है। शायद यह होमियोपैथिक की दवाई है जिस में पहले बीमारी को बढ़ाया जाता है और बाद में घटाया जाता है। क्या इन के साथ भी इसी तरह से किया जायेगा ? क्या इनको भी पहले बेकार किया जाएगा और बेकारों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बाद मे घटाई जाएगी ? रिट्रेंचमेंट नोटिसिस के बाद जो हुआ देट वाज ए सैड कमेंट्री आन दी सैकिंड फाइव इयर प्लान। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने कोशिश की और एम्पलायमेंट एक्सचेंजिस की मार्फत तकरीबन तीन हजार आदमियों को नौकरियां दिलाईं। लेकिन वे भी क्या करें। मैं तो कहता हूं कि उनका नाम ही बदल दिया जाना चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो बेहतर होगा। रिपोर्ट मे कहा गया है कि और कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेंजिस खोली जायेंगी और यह कहा जाता है कि उनमें बड़ी गड़बड़ी है और उनमें जो लोग काम करते हैं वे ठीक काम नही करते है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर नौकरिया ही नही हैं

16-54 hrs.

[SHRI C. R. PATTABHAI RAMAN *in the Chair*]

देन वृहट इज टू बी एक्सचेन्ज्ड। वहां पर क्या होता है। एक आदमी जो अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है उसको कई कई चक्कर एक्सचेंज के काटने पड़ते है हर एक महीने के बाद उसे अपना कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। रोज कार्ड बदलते रहते हैं। एक कार्ड की मयाद अगर आप छः महीने कर दें तो अच्छा रहेगा और लोगों को रोज रोज वहां पर जाने की आवश्यकता नही पड़ेगी।

लेबर प्राबलैम को तथा बेकारी की समस्या को साल्व करने के बारे मे जो आंकड़े दिए गये है वे हमारे सामने हैं। मैं लेबर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह देखें कि उनकी मिनिस्ट्री अच्छी तरह से फंक्शन करती है या नहीं। आज मोबिलिटी आफ लेबर है लेकिन कोआर्डिनेशन नही है। एम्पलायमेंट एक्स्चेंजिस का तथा यूनियन्स और फैडेरेशंस को आपस में कोआपरेशन से रहना चाहिये ताकि बेकार लोगों को और रिट्रेन्च्ड लेबरर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ऐसा होने से मैं यह नही कहता कि अनएम्पलायमेंट पूरी तरह से साल्व हो जाएगी लेकिन टू सम एक्सटेंट वह अवश्य साल्व हो जाएगी। अगर कोआर्डिनेशन हो तो कुछ न कुछ हद तक इस मसले को अवश्य हल किया जा सकता है।

अब मैं पीस वर्क सिस्टम के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हू। मैं इसके खिलाफ नहीं हू। लेकिन मैं एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं। यह मैं मानता हू कि इससे लोग और अधिक काम करने का इंसेंटिव अपने अन्दर पैदा करते हैं और इससे अधिक उत्पादन होता है, अधिक प्रोडक्शन होता है। लेकिन हमारे देश में आज समाजवाद का नाम तो जरूर लिया जा रहा है लेकिन समाजवाद व्यवस्था नही है। मैं आपको बतलाना चाहता हू कि इससे मजदूरो की सेहत तबाह होती जा रही है, उनकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं इस सिस्टम को खत्म करना नही चाहता। लेकिन मैं चाहता हू कि बटर कंडिशंस आफ वर्क हों और जब तक ऐसा नही होगा तब तक इट विल बी ए सिस्टम आफ एक्सप्लायटेशन। आप आज टाइम एंड मोशन स्टडी की व्यवस्था करते हैं। एक स्टाप वाच लेकर आप एव्रेज निकाल लेते हैं। जब तक टाइम एंड मोशन स्टडी का जो सिस्टम है वह परफैक्ट नही होता, जब तक वर्किंग

[श्री स० म० बनर्जी]

कंडिशंस अच्छी नही होती, जब तक एनवायरनमेंट्स अच्छे नही होते तब तक वर्कर्स के लिए यह सिस्टम लाभदायक नही हो सकता है। वे लोग समझते हैं कि यही एक तरीका है जिस से कि उनको ज्यादा पैसा मिल सकता है और लालच में आकर वे अपनी आखो की रोशनी को खो देते हैं, अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं और तरह तरह की बीमारियो के शिकार हो जाते हैं। मैं इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नही हू लेकिन मै चाहता हूं कि ये सब चीजे वर्कर्स को मुहैया होनी चाहिये और इस सब के साथ साथ मिनिमम वेजिज की गारटी भी होनी चाहिए।

आपने जो वेज बोर्ड बनाये है और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए जो वेज बार्ड बनाने की जरूरत है, उस पर मैं अब आता हू। मैं मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करता हू कि वे मेहरबानी करके प्लांटेशस के लिए, ट्रासपोर्ट वर्कर्स के लिए तथा दूसरे बडे बडे कारखानो के लिए तथा बडी बडी इंडस्ट्रीज के लिए वेज बोर्डस का निर्माण करें।

यहा हैल्थ रिजार्टस की बात भी की गई है। आपने रेलवे वर्कर्स के लिए हैल्थ रिजार्टस अवश्य बना दिए हैं। आपने टी० बी० के मरीजो के बारे मे कहा है कि उनके लिए और ज्यादा बैड्स की व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि काफी मजदूर टी० बी० के शिकार है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्पलायीज है उनके लिए इलाज करवाने के लिए १८ महीने की छुट्टी देने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि नियमो के अनुसार उनको छुट्टी तो दे दी जाती है लेकिन उनको वेजिस जो इस दौरान मे दी जाती है वे $1/_{8}$ भी नही दी जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि उनको भीख माग कर और बडी मुश्किल के साथ अपना गुजारा करना पडता है। इससे इतना फायदा तो अवश्य होता है कि उनका नाम नही कट जाता है और वे फैक्ट्री मे दुबारा आ जाते हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के जो नौनिहाल वर्कर टी० बी० से मुबतिला हैं और अच्छा काम करने वाले हैं, मेहनती है, ईमानदार है, उनको कम से कम हाफ पे पर लीव तो कम से कम दीजिये।

आपने मजदूरो के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलायीस के लिए पे कमिशन अवश्य बिठाया है। उसको यह अधिकार भी दिया गया है कि वह जिस किसी भी की चाहे एडवाइस ले सकता है। मै चाहता हू कि उसमे मजदूरो की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनकी एडवाइस भी ली जानी चाहिए ताकि जो भी रिपोर्ट वह सबमिट करे, उसमें युनेनमिटी हो और उसमे मजदूरो को तमल्ली हो सके।

अब मैं बोनस के सवाल पर आता हूं। इसके बारे मे डागे साहब ने तथा दूसरे भाइयो ने काफी विस्तार के साथ कहा है। क्या वजह है कि बोनस के मामले को लेकर मजदूर आज लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, कौलेक्टिव बारगेनिंग की स्पिरिट उनमे खत्म होती जा रही है, हाई कोर्ट की तरफ वे देख रहे हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है मैं आपको बतलाना चाहता हू कि कानपुर शहर में बोनस के सवाल को लेकर लाल इमली के वर्कर्स ने तीन साल तक कोशिश की। ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के जमाने में जब से यह कम्पनी वहा है इसमें करोडों रुपया तथा अरबो रुपया विदेशों को भेजा है। लेकिन बोनस के सवाल का हल नही किया है। जब भी यह सवाल उठाया जाता है तो कह दिया जाता है कि नुक्सान हो रहा है। वहा हमारे एक मजदूर ने सात मार्च को अपनी जान तक दे डाली है और यह कह कर जान दे डाली है कि शायद मेरे मरने के बाद मेरी लाश को देखकर ही बोनस का मामला हल हो जाएगा। मैं इसको सपोर्ट नही करता लेकिन मैं पूछना चाहता हू कि क्यो बोनस उनको आटोमैटिकली नही दे दिया जाता है और उस सूरत मे भी क्यो नही दिया जाता है जबकि कम्पनी को मुनाफा हो रहा होता है।

क्यो लोगो को हल्ला मचाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्यो उनको गडबडी करने के लिए मजबूर किया जाता है । इस वास्ते मैं चाहता हू कि बोनस का मामला भी सतोषजनक रूप मे हल होना चाहिए ।

अन्त मे मैं इतना ही कहना चाहता हू कि जो सुझाव मैं ने दिए हैं उन पर मत्री महोदय ध्यान मे विचार करे और उनको अमल मे लाने का प्रयत्न करे । अगर आपने ऐसा किया और आपकी मजदूरो के प्रति नीति सही रही तो मजदूरो का कोआप्रेशन आपको अवश्य मिलेगा और वे देश के निर्माण मे सहायक होगे । आप चमकती हुई ईंट हैं और हम उसकी बुनियाद की ईंट हैं, इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हू ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देना चाहती हू कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मैं माननीय मत्री जी तथा उनके सहयोगियो को भी धन्यवाद देना चाहती हू उस अच्छे काम के लिये जो उन्हो ने किया है ।

17 hrs.

मैं जो कुछ बाते यहा पर लेबर के बारे मे कही गई है और जिन को बार बार दोहराया गया है उनको सुन सुन कर तग आ गई हू । मैं समझती हू कि हमारे लेबर मिनिस्टर साहब भी उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहा पर ज्यादा पुकार होती है, जहा से ज्यादा शोरगल उठता है और जो लोग चुप चाप बैठे रहते है, उन की ओर हमारा उतना ध्यान नही जाता है । उन लोगो की ओर जिन की तादाद करोडो मे है, हमारे मत्री महोदय का ध्यान नही जाता है । अम्बरचर्खे भी आप शहरो मे देते है और देहातियो की और महिलाओ की ओर आप का ध्यान नही जाता है । वहा पर लोगो के पास करने को कोई काम नही है । हमारे जो लेबर के डिप्टी वज़ीर है वे शुरु से ही लेबर के साथ बहुत प्यार करते आए है और उसको एक छोटा बच्चा समझते है । अब लेबरर्स किस को कहते है, लेबरर्स उनको कहते हैं जो मजदूरी पेशा करते है, तमाम दुनिया लेबर नही होती । हर कोई लेबर लेबर चिल्लाता है लेकिन हम देखते हैं कि यह तबका जो कि ८०, ६० फ सदी है उस की ओर ध्यान नही जाता है और उस के साथ नाइन्साफी बर्ती जाती है और शहरो में बसने वाले १० —१५ फीसदी तबके की ओर ही ध्यान किया जाता है । मैं समझती हू कि आज आपके दिलो मे उस अभागे ८० और ६० फीसदी तबके के लिये हमदर्दी है लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह चीज कहनी पडती है कि उस पर जो अमल होना चाहिये और जिस ढग से काम होना चाहिये वह नही होता है । आपकी प्लानिग कमेटी करोडो रुपये के प्लान्स बनाती है लेकिन वे गलत ढग से बनाते जाते है और वे प्राजेक्ट्स ऊपर से बनते हैं । यह सारे प्लान्स और प्राजेक्ट्स जो बनते है सब शहरो मे बनते है लेकिन मैं पूछना चाहती हू कि ८० और ६० फीसदी गरीब खेतिहर मजदूर जो कि गावो मे बसते है और जिन की कि हालत बडी दर्दनाक है उनके वास्ते क्या हो रहा है ? यह जो बगले और सडके बनी है यह किस के वास्ते बना है ? केवल १०–१५ फीसदी लोगो का ख्याल न करके आप को ८० और ६० फीसदी लोगो के लिये काम करना चाहिये । आप पद्म मे बैठिये और बगले मे शान से रहिये, मुझ उस मे कोई ऐतराज नही और न ही मैं आपके राइट्स मे दखल देने वाली हू । मगर मैं यह कहे बगैर नही रह सकती कि गावो के मजदूरो की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नही दिया गया है और आज उन की हालत बडी दयनीय और शोचनीय है । यह सारे प्लान्स आखिर आपने किन के वास्ते बनाये है, मेरी समझ मे आप की प्लानिग बहुत

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

डिफेक्टिव है। मैं आप से अदब से कहना चाहती हूं कि मैं चित्रकार हू इस लिये मैं अच्छा तस्वीर बना लेती हूं और उस नाते मेरा कहना है कि आप का प्लान बड़ा खराब है। १० परसेंट आदमी का जिस्म होता है और १५ परसेंट के करीब आदमी के कान वगैरह होते है और आप समझ सकते हैं कि आदमी का मुख कम होता चला जाये और कान बढ़ते चले जाये और आदमी के कान हाथी के कान हो जाये तो वह कैसा बेढगा और कुरूप दीखेगा। ठीक वही दशा हमारे प्लान की है।

अभी हमारे एक भाई बोले और उन्होंने बतलाया कि ४ लाख लोगों को मजदूरी नही मिलती है लेकिन मैं उन को और हाउस को बतलाना चाहूंगी कि ४ लाख नही ६ करोड़ लोगो को काम देने का सवाल है। ६ करोड़ लोग हमारे जंगलो में और गावों में केवल ५ महीने काम करते है, फसल के समय पर उनको काम करने को मिल जाता है और बाकी साल के ६, ७ महीने वे बेकार बैठे रहते है। यह आपका अम्बर चर्खा वगैरह शहरों में या जिलों में होता है लेकिन गावो में क्या होता है। अभी गाव के मेरे एक भाई बोले थे कि यह बापू जी का प्लान है मैं उन के इस मत से सहमत नही । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बापू जी का प्लान होता तो यह बड़ा सुन्दर होता। बापू जी का प्लान गावो से आना चाहिये था और मुझे आप की प्लान की सीढ़ी उलटी दिखाई देती है जोकि ऊपर से नीचे जा रही है, जब कि उस को नीच से ऊपर जाना चाहिये था। प्रजा राज्य मे प्रजा की बात की ताकत होती है।

अभाग्यवश मुझे सदा आखिर में बोलने का समय मिलता है और मेरे पास समय भी खत्म हो चला है और मेरी समझ में नही आता कि क्या बोलू और क्या छोड़ दू, बोलने को तो मेरे पास बहुत सामग्री है। मै सरकार का ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान अपने तेलगाना और आंध्र के चर्खा चला कर कपड़ा बनाने वाले लोगों की तरफ दिलाना चाहती हूं क्योंकि हमें यह नही भूल जाना चाहिये कि चर्खा चला कर और सूत कात कर इन जुलाहो ने लंकाशायर को गड़बड़ा दिया था और आज उन करोड़ों लोगों की हालत बड़ी खराब है और सरकार को उनकी आर्थिक अवस्था उन्नत करने के लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये। उनके वास्ते बोनस का इंतजाम कीजिये और अन्य सुविधायें उनको सुलभ कीजिये। आज मैं यह कहने पर विवश हूं कि आप दोनों आंखों से नही देख रहे हैं, आप अपनी एक आंख बन्द किये हुये हैं। अब समय आ गया है अब आप दोनों आंखें खोल कर देखें।

श्री विनोबा भावे के साथ में पैदल यात्रा में घूमी हू और मैने स्वय अपनी आखो से उनकी दर्दनाक हालत को देखा है। मै उनकी हालत को देखकर रोती थी और विनोबा जी से कहती थी कि बाबू जी देखिये क्या हो रहा है, उनके घर जल रहे हैं तो विनोबा जी कहते थे कि घर जलने दो अभी और होना चाहिये, अभी और बढना चाहिये और यदि यह सिलसिला न रुका तो विप्लव होगा और बाद मे यह सब खत्म हो जायेगा। तब लोग शाति के पुजारी बनेगे। स्ट्राइक होने से ही हम लोगो की तन्द्रा टूटेगी और हम सुधरेगे। लेकिन मै सरकार को चेतावनी देना चाहती हू कि बिना विप्लव किये यह अब भी जागरूकता से काम ले और स्थिति को सम्हाल ले।

हमारे खेतिहर मजदूरो को साल में केवल ६ महीने फसल के ऊपर काम मिलता है बाकी दिन बिना काम के रहते है। गावों में अप्रैल, मई और जून के महीनों मे पीने का पानी नही मिलता, खाने को उनको गिजा नही मिलती और जब आदमी को काम नहीं

होता तो उसका दिमाग खो जाता है और दिमाग खो जाने से वह बेवकफ बना इधर से उधर बेकार मारा फिरता है । बेकारी से आदमी बुरी चीज़ करने को लाचार हो जाते हैं। करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिनका कि दिमाग फिर सा गया है और जो कि भुखमरी और बेकारी से पीड़ित हैं । सरकार को शहरों से अब ध्यान थोड़ा सा हटा कर गांवों की ओर करना चाहिये और वहां पर नय नये कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करे जहां कि इन लोगों को काम दिया जा सके ताकि वे अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें । उनके वास्ते गांवों में पानी पहुंचाने की भी आवश्यक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । श्रम मंत्रालय की बागडोर सौभाग्य से हमारे नन्दा साहब के हाथ में है और उनको तो हर बात मालूम है, साथ ही उनके डिप्टी मिनिस्टर भी बहुत चतुर हैं और उनकी लेबर में बहुत दिलचस्पी है और उन्होंने लेबरर्स के लिये काम भी किया है और मैं चाहूंगी कि वे लैंड रिफार्म्स लायें और हमारे खेतिहर मजदूरों की हालत को बेहतर बनायें ।

आपने चिल्ड्रेंस ऐक्ट पास किया हुआ है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है । ८, ८ साल के बच्चे रिक्शा चलाते हैं और पुलिस वाले चुपचाप खड़े देखते रहते हैं, जब मैं उनको पकड़ कर देती भी हूं तब भी कोई नहीं सुनता ।

एजुकेशन सेंटर्स जैसा कि मेरे एक भाई ने जिक्र किया खुलने चाहियें और मैं उनके खुलने का स्वागत करती हूं और यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन आपको यह देखना चाहियें कि आप उन एजुकेशन सेंटर्स में किस को एजुकेट कर रहे हैं, लीडर्स को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप वर्कर्स को एजुकेट कीजिये । आपको उनके लिये स्कालरशिप्स् की उचित व्यवस्था करनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब एजिटेशन होता है तब ही आप उनको स्कालरशिप्स् का पैसा देते हैं, इस तरह की झगड़ेबाजी की नौबत आपको नहीं आने देनी चाहिये ।

एजुकेशन कमेटी के नियम के अनुसार जो व्यक्ति ट्रेनिंग हासिल करता है उसको ५ साल मुसलसल लेबर में काम करना लाजिम है नहीं तो उसको वह पैसा वापिस करना पड़ता है, मेरी राय में इस तरह की पाबन्दी ठीक है ।

मैं मानती हूं कि हमारे लेबर लीडर्स बहुत अच्छे हैं और वे मजदूरों का हित सोचते हैं और उनकी उन्नति के लिये दिक्कत और परेशानी उठाते हैं और आज उनकी कोशिशों के फलस्वरूप हमारे मजदूरों की हालत पहले की अपेक्षा बेहतर है और हमें उन पर गर्व है लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगी कि यह लेबर लीडरशिप विशुद्ध लेबर लीडरशिप रहनी चाहिये और यह किसी की पोलिटिकल लीडरशिप नहीं होनी चाहिये, राजनैतिक स्वार्थ साधन इसकी आड़ में नहीं होनी चाहिये और लेबर लीडर्स भारत सेवक समाज और सर्वोदय समाज के कार्यकर्त्ताओं के समान होने चाहियें । जिस तरह से आपने इसेंशियल सर्विसेज के लिये कानून बनाया था उसी तरह से आप इसके लिये भी कानून बना दीजिये कि कोई पोलीटिकल मैन लेबर का लीडर न हो सके । लेबर की लीडरशिप सर्वोदय वालों को दी जाये । अगर ऐसा होगा तो शांति और संतोष से काम होता रहेगा । मैं चाहती हूं कि दस या बीस साल तक लेबर की लीडरशिप किसी पोलीटिकल आदमी को न मिलने दी जाये । अगर ऐसा होगा तो गांव वालों का भी बहुत भला होगा और आप उनकी मदद कर सकेंग । लोगों के दिल में इस विषय में जो विचार हों उनको यहां खुले रूप में कहना चाहिये । मैं समझती हूं कि अगर मेरा सुझाव लेबर के बारे में माना जायेगा तो आपका प्लान का काम बहुत सुन्दर रूप से पूरा हो जायेगा ।

श्री र० चं० व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति जी, आज दिन भर मजदूर समस्या पर चर्चा हुई ह । आई० एन० टी ० यू० सी० और ए० आई० टी० यू० सी० दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार सदन के सामने रखे ।

श्री नाथ पाई : हिन्द मजदूर सभावालों ने भी अपने विचार रखे ।

श्री र० चं० व्यास : हां, हिन्द मजदूर सभा वालों ने भी अपने विचार रखे । पिछले दस सालों में हमारी भारत सरकार की श्रम नीति के फलस्वरूप हमारे मजदूरों की कुछ समस्यायें सुलझी हैं । कई उलझनें दूर हुई हैं और मजदूर संगठन आगे बढ़ा है । उसने अपनी समस्याओं को हल किया है । ट्राइब्युनल्स में भी मामले गये, लेकिन अपीलेट ट्राइब्युनल्स की जो नीति थी वह फेल हुई और उसके फैसलों में बहुत देर होने के कारण आई० एन० टी० य० सी० ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई । अपीलेट ट्राइब्युनल एबालिश हुआ । लेकिन ट्राइब्युनल्स के फैसले करने के तरीके में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में जो सुधार हुये हैं और जो संशोधन हुये हैं वे अभी तक सारे राज्यों में चालू नहीं हुये हैं । सारे देश में उसके अनुसार श्रमनीति अभी नहीं चल रही है ।

आज जो हमारे माननीय श्रम मंत्री हैं वे मजदूरों के माने हुये नेता हैं । गांधी जी कि नीति के अनुसार देश के श्रम आंदोलन को उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक नया जीवन दिया है । लेकिन उनका इतना अनुभव होते हुये भी आज राज्य सरकारों की और केन्द्रीय सरकार की श्रम नीति एकरूप नहीं हो पायी है । इस कारण मजदूरों की समस्यायें उलझी हुई हैं, उनके हल होने में बहुत देर लगती है और देर लगने के कारण उनका विक्टिमाइजेशन होता है । मालिकों के रुख में मजदूरों के प्रति अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और मैं तो अदब से कहना चाहता हूं कि यही हाल सरकारी उद्योगों में भी है । जो दमन की नीति उद्योगपति अपनाते हैं वही सरकारी अधिकारी अपनाते हैं । जो नीति आपने निर्धारित की है उसके अनुसार मजदूर को जितना लाभ मिलना चाहिये उतना लाभ नहीं मिल रहा है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये आपने एक वेतन बोर्ड बनाया और उसने अपनी सिफारिशें भी कीं । आज देश में जो बड़े बड़े पत्र हैं वे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के आधार पर चल रहे हैं । इसके बावजूद एक भी ऐसा पत्र का मालिक नहीं है जिसने उस बोर्ड की सिफारिशों को अपने यहां लागू किया हो । तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारी नीति पर अमल ही नहीं होगा तो आखिर काम कैसे होगा ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना हमको पूरी करनी है । इस योजना को आप मजदूर की सहायता से पूरा करने की आशा करते हैं लेकिन मजदूर के लिये उपयुक्त मानस नहीं बन पा रहा है, कारण कि जो आज हमारी नीति है वह कार्यान्वित नहीं हो पा रही है ।

मैं राजस्थान से आता हूं । राजस्थान में अभ्रक की खानें हैं और अभ्रक की फैक्टरियां भी हैं । केन्द्रीय सरकार का मजदूर विभाग ही उसकी देखरेख करता है । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी मशिनरी की ढिलाई कहिये या कुछ गड़बड़ नीति के कारण वहां के लिये हाईकोर्ट ने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट को गैरकानूनी घोषित कर दिया है । वहां पर वह ऐक्ट लागू नहीं है ।

पहले रीजनल लेबर कमिश्नर का आफिस अजमेर में था । अब उसे नागपुर भेज दिया गया है और राजस्थान का संबंध उससे रखा है । अब आप देखें कि राजस्थान कहां और नागपुर कहां ।

कई मालिक ऐसे हैं जो चार चार महीने तक मजदूरो की कमाई हुई मजदूरी नही देते है, बोनस की बात तो गयी, वेतन वृद्धि की बात तो गई। आज दस हजार के करीब मजदूर वहां इसी के कारण पिस रहे है।

तो मैं माननीय श्रम मत्री जी से अदब के साथ निवेदन करना चाहता हू कि आपने प्रेरणा दी है मजदूरो मे काम करने की । मै भी आपकी प्रेरणा से ही मजदूरो मे काम कर रहा हू, लेकिन अगर यही हालत रही और इस हालत मे कोई सुधार नही हुआ तो देश की जो दूसरी पचवर्षीय योजना है उसके पूरे होने मे मुझे कुछ भय लगता है ।

आज जो हमारे दूसरे मजदूर सगठन है जैसे ए० आई० टी० यू० सी० है या हिन्द मजदूर सभा है, उनका उद्देश्य, मे अदब के साथ कहना चाहता हू, मजदूर हित नही है । उनमे राजनीतिक हित निहित है और राज-नीतिक हित को लेकर के ही वे मजदूरो मे जाते है, तोड फोड करते है और जैसा राम-सिह भाई ने कहा, कई मजदूरो को बेकार कर देते हैं । उनकी इस तोड फोड नीति के कारण आज बहुत से मजदूर बेकार हुये है । आज आई० एन० ट य० सी० देश का सबसे बडा मजदूर सगठन है । जिसको आई० एल० ओ० मे भी मान्यता मिली हुई है । इसके बावजूद भी चूंकि हमारे नेता श्रममत्री हे इसलिये हमको ठीक न्याय नही मिलता । ठीक प्रति-निधित्व नही मिलता । हमारे विरोधी पक्ष क जो भाई है वे आई० ए न० टी० यू० सी० क बारे म नाना प्रकार की बाते कहते हैं कि वह तो हिंसा पर उतर आती है । मैं उनके बारे मे जो कि आई० एन० टी० यू० स ० के खिलाफ है यह कहना चाहता हू कि वे आतक जमाकर के कार्य करना अधिक पसन्द करत है और वर्कर्स को मारना भी उनकी दृष्टि मे एक मामली काम है । उनके लिये ये सब क्षम्य है । लेकिन हम ऐसा नही करते हैं । हम हिंसा पर नही उतरत ह । यही वजह है कि हम पिछड़े हुये रहते हैं ।

मै बडे अदब के साथ यह कहना चाहता हू कि जैसा कि कई मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ताओ ने कहा है कि हमारी केन्द्रीय सरकार की जो श्रम नीति है उसमें एकीकरण आना चाहिये और आपकी श्रम नीति का पालन सब राज्य सरकारो को कराना चाहिय । यदि ऐसा हुआ तो हम जितनी भी समस्याये हमारे सामने उठ खडी होती है, उनका सामना कर सकेंगे और उनको सफलता क साथ हल कर सकेंगे ।

मैं यह कहे बगैर नही रह सकता कि आपकी जो श्रम नीति रही है उसी की वजह से आप मजदूरो को आगे ले जा सके ह, उनमे हिम्मत का सचार कर सके है तथा समस्याओ को सफलतापूर्वक हल कर सके हैं । लेकिन जो कमिया है उनको भी दूर करना आपका कर्त्तव्य है, इतना ही मैं कहना चाहता हू ।

Mr Chairman. I believe the hon. Minister is speaking tomorrow

Shri Nanda: I can start now

Sardar A. S. Saigal (Janjgir) At 5 30 we have to disperse The hon. Minister may speak tomorrow

Shri T. B. Vittal Rao: One more speaker may be accommodated

Mr. Chairman: We have got nearly 40 minutes more I feel bound by the announcement of the Speaker this morning that we will go on till 6 O'clock, and I believe Minister wanted an hour

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): Let us disperse at 5 30

Mr. Chairman: In any event Shrimati Sahodrabai will speak now

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातिया) : सभापति महोदय, आज यह मेरे लिए बडे सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । इसके लिए मै आपको धन्यवाद देती हूं ।

[श्रीमती सहोदरा बाई]

मिलो और फैक्ट्रियो इत्यादि में काम करने वाले मजदूरो के लिए और अधिक सुविधाओ की व्यवस्था किए जाने की तथा उनकी मजदूरी निश्चित किए जाने की हर तरफ से माग की गई है। लेकिन हमारे देहातो में जो खेती पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो काश्तकारो के साथ काम करने वाले खेतिहार मजदूर हैं, उनको उचित वेतन दिए जाने की माग किसी ने नही की है। उनके बारे मे किसी ने कुछ क्यो नही कहा है, यह मै नही जानती। लेकिन मिलो और फक्ट्रियो मे काम करने वालो की जो दुखभरी पुकार होती है उसको तो सुन लिया जाता है लेकिन हम लोगो की पुकार को कोई नही सुनता है। इस वास्ते मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि खेती मे काम करने वाले मजदूरो के लिए ऐसा कदम उठाया जाए कि उनको जो मजदूरी दी जाती है उसकी भी दर निश्चित की जा सके। आज इन लोगो को ठीक से मजदूरी नही मिलती है। जब उनको कम मजदूरी मिलती है तो उनको शहरो की ओर भागना पडता है जिस का नतीजा यह होता है कि खेती धरी की धरी रह जाती है और उस पर काम करने के लिए मजदूर नही मिलते है। इससे जो किसान लोग है वे बहुत परेशान हो जाते है और जब हम वहा पर जाते हैं तो हम से इसकी शिकायत करते हैं और कहते है कि हम क्या करे हमे मजदूर नही मिलते है और हमारा काम नही होता है। सरकार से तथा मत्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि खेती का काम करने वाले को, काश्तकारो के साथ जो मजदूर काम करते है, उनको उचित मजदूरी दी जा सके और उनकी मजदूरी की दर निश्चित कर दी जानी चाहिए। इन मजदूरो को जो मजदूरी शहरो मे मिलती है, उतनी मजदूरी देहातो मे नही मिल सकती है। क्यो काश्तकार लोग उनको इतनी मजदूरी नही दे सकते है, इसकी वजह यह है कि उनकी इतनी आमदनी नही होती है कि वे दो रुपया रोजाना या तीन रुपया रोजाना मजदूरी दे सके। वे इतनी अधिक मजदूरी नही दे सकते हैं। इस वास्ते मे प्रार्थना करती हू कि खेती में किसानो के साथ काम करने वाले मजदूरो के लिए सवा रुपया और महिलाओं के लिये एक रुपया रोजाना मजदूरी की दर निश्चित कर दी जाए जिससे कि काश्तकारो का भी काम चल सके और ये लोग भी भाग कर शहरो में काम की तलाश मे न दौडे।

17 25 hrs.

[MR SPEAKER *in the Chair*]

देहातो में काम की एक और विशेषता है। यह जो काश्तकारी का काम है यह सारा साल नही चलता है। वहा पर कोई उद्योग धधे भी नही है। इसका नतीजा यह होता है कि मजदूर लोग बेकार पड़े रहते है। इस वास्ते देहातो मे छोटे छोटे धधे जैसे अम्बर चर्खा है खोल जाने चाहिये। जिस तरह से अम्बर चर्खे को शहरो में चलाया जा रहा है उसी तरह से इस देहातो मे भी ले जाया जा सकता है और वहा पर लोगो को काम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ उनको छोटे-मोटे दूसरे काम खादी के करने के लिए भी दिए जा सकते है। यदि वहा खादी का उद्योग चले या दूसरे छोटे-छोटे धधे चले तो वे वहा पर जम कर बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे और शहरो की तरफ नही दौडेंगे। जब उनको छ महीने कोई काम नही मिलता है तो वे शहरो की तरफ आ जाते है। जब भी हम किसी क्षेत्र मे जाते है तो लोग हमे गालिया देते है और कहते है कि यह कैसा राज्य हुआ है कि मजदूर भी हमे नही मिलते है। इस वास्ते मै हाथ जोड कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि देहातो मे ज्यादा लोग बसते है और उस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। देहातो में भी ज्यादातर लोग काश्तकारी करते है और काश्तकारी करने मे उनको मजदूरो का सहयोग प्राप्त करना पडता है। उन मजदूरो के लिए मैं चाहती हू कि आप उचित वेतन निर्धारित कर दे, जिससे कि वे

वही पर काम कर सकें और शहरों की ओर न भागें ।

यह मेरा पहला मौका बोलने का है और मैं इस वक्त और अधिक नहीं कहना चाहती हूं।

Mr. Speaker: Is the Minister willing to start now

Shri Nanda: If you so desire

Shri T. B. Vittal Rao: He can begin afresh tomorrow

Mr. Speaker: We are going on extending the time I do not know whether we shall have to sit even after the 13th September The Minister may speak tomorrow

Shri Nanda: As you please

Mr. Speaker: I shall call the Minister, and he may rise in his seat, lest any other persons should offer themselves to speak tomorrow The hon Minister

Shri Nanda: The discussion in the House on the Labour Ministry's Demands for Grants has covered a wide range of topics, some of them of somewhat general interest, and some other matters of detail or questions of a sectional or local character Owing to the obvious limitations of time, I shall have to confine myself, in the course of my reply, to matters of a general character So far as the other questions are concerned, I am sure there will be other means and other occasions for me to furnish the answers and to give satisfaction to the hon Members I may add also that a number of those things have already been dealt with in the course of the speech made by my colleague the Deputy Minister of Labour

Shri T. B. Vittal Rao: What did he deal with? He only talked about 1942

The Parliamentary Secretary to the Minister of Labour and Employment and Planning (Shri L N Mishra): He has talked about other things also But the hon Member remembers only 1942

Shri Nanda There were other important things also which were dealt with by him

My hon friend Shri S A. Dange expressed very great concern about our labour policy

Mr. Speaker The Minister may reply to him tomorrow

17 28 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 23rd August 1957